

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद**विकास प्राधिकरण की अयुक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :**

श्री कृष्ण कुमार गान्धेय एवं श्री नितिन युग द्वारा पार्ट आफ़ डी होल्ड भूखण्ड संख्या-49, बंगला नं0-29 नया 77 राष्ट्रीय राज, के नव निर्मित व्यवसायिक/कार्यालय भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री एके0 पाठक, सहायक अभियन्ता श्री ओ0पी0 राम तथा मुख्य नगर नियोजक श्री रतनज रामगुली द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र दिनांक 04.08.2012 के अनुरूप सही पाया गया है। उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा (इला0 जोन), अधिसारी अभियन्ता, तथा ऑफिटेवट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपस्थित मंडोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 03.07.2013 के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। निर्मित भवन के द्वितीय तल का उपयोग स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कार्यालय हेतु ही किया जाय। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा (इला0 जोन)
प0रि0-84/उ0नि0/दि0सु0 दि0 13.05.2013
2. ऑफिटेवट/सूक्ष्मरल इन्जी0 का प्रमाण पत्र।

हरसाक्षर

पदनाम

कार्यालय को मुहर

दिनांक

24/07/13
मुडाकेश शर्मा
अधीक्षक (प्रबन्ध)

04/07/2013

पत्रांक :- 18/40310-वर्ग/0.01

दिनांक : 04/07/2013

